न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 482 सन 2020

अनवान :–

1. भगवन्तराम पुत्र जगराम जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
2. नत्थुराम पुत्र जगराम जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
3. रोहताष पुत्र हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. सावित्री पत्नी हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
3. सरोज पुत्री हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
4. रमेश 5. प्रेमचन्द पुत्र हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 127/122 की कुल 2.8450हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता जगराम उर्फ जसराम के वारिस उनके पुत्रों के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता जगराम उर्फ जसराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादीगण संख्या 1 ,2 व भुपसिह व हसंराज , हसराज का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है इसप्रकार जगराम उर्फ जसराम जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम भागीरथ पुत्र जसराम व नत्थुराम पुत्र जसराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागीरथ पुत्र जसराम , नत्थुराम पुत्र जसराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता ,5 के हक हिस्सा के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अनुसार दर्ज करवाने एवं नाम संशोधन करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता हंसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हसंराज का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादीगण के पिता का नाम भागीरथ पुत्र जसराम व नत्थुराम पुत्र जसराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम है नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

वादी संख्या 3 की माता व बहन ने निवेदन किया की हसंराम के देहान्त होने पर हसंराज के हक हिस्सा में उनका बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है तत्पश्चात पुन स्वय प्रतिवादी संख्या 2 ,3 न्यायालय में उपस्थित होकर पुनः राजीनामा पेश कर निवेदन किया हम अपने हक हिस्से की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है इसलिये हसराज के नाम से दर्ज भूमि वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 127/122 की कुल 2.8450हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता जगराम उर्फ जसराम के वारिस उनके पुत्रों के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता जगराम उर्फ जसराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादीगण संख्या 1 ,2 व भुपसिह व हसंराज हसराज का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है इसप्रकार जगराम उर्फ जसराम जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम भागीरथ पुत्र जसराम व नत्थुराम पुत्र जसराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम व नत्थुराम पुत्र जगराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागीरथ पुत्र जसराम , नत्थुराम पुत्र जसराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 127/122 की कुल 2.8450हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी संख्या संख्या 1 ,2 व मृतक हसराज व भूपसिह के नाम से दर्ज है हसराज पुत्र जगराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने पहले अपने हकों को त्याग अपने भाई/पुत्रों के पक्ष में किया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 ,3उने पुनः राजीनामा पेश कर अपने हक प्राप्त करने का राजीनामा पेश किया जिसे वादीगण स्वीकार किया किया जाकर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है। अर्थात आपसी सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम , नत्थुराम पुत्र जगराम दर्ज है। तथा सरंपच ग्राम पंचायत फतेहपुरिया के अनुसार भी वादीगण का नाम भागीरथ पुत्र जगराम व नथुराम पुत्र जगराम वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम भगवन्तराम पुत्र जगराम , नत्थुराम पुत्र जगराम होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 127/122 के खसरा न0 376/2 की 2.8450हैक भूमि में वादी का नाम भागीरथ पुत्र जसराम अंकित है के स्थान पर भागीरथ उर्फ भगवन्तराम पुत्र जगराम एवं वादी संख्या 2 नत्थुराम पुत्र जसराम अंकित है के स्थान पर नत्थुराम पुत्र जगराम संशोधित किया जाता है तथा मृतक हसंराज के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा में मृतक हंसराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता ,5 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भगवन्तराम पुत्र जगराम जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
2. नत्थुराम पुत्र जगराम जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
3. रोछताप पुत्र हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।

वादीगण

वनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2 सावित्री पत्नी हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
3 सरोज पुत्री हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।
4. रमेश 5. प्रेमचन्द पुत्र हंसराज जाति मेधवाल निवासी फतेहपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 482 सन 2020 निर्णय दिनांक–13/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 127/122 के खसरा न0 376/2 की 2.8450हैक भूमि में वादी का नाम भागीरथ पुत्र जसराम अंकित है के स्थान पर भागीरथ उर्फ भगवन्तराम पुत्र जगराम एवं वादी संख्या 2 नत्थुराम पुत्र जसराम अंकित है के स्थान पर नत्थुराम पुत्र जगराम संशोधित किया जाता है तथा मृतक हसंराज के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा में मृतक हंसराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता ,5 वहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner